बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। आदेश ।।

सं सं0–04/NULM–02/2019 2185 न0वि0एवंआ0वि0

CWJC No.-15475/2016 (Vikash Chandra Guddu Baba Vs The State of Bihar & Others) एवं अन्य संबंधित विभिन्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा कई विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विशेषज्ञों के साथ दिनांक 27.07.2019 को विशेष सुनवाई की गयी। उक्त तिथि को हुई सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पटना शहर में नागरिक सुविधाएं बहाल करने से संबंधित विभिन्न प्रमुख समस्याओं यथा वेडिंग जोन, सिवरेज सिस्टम, ड्रेनेज, अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, सिग्नल सिस्टम, सी०सी०टी०वी० कैमरा आदि पर संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त कर आदेश पारित किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अन्तर विभागीय समन्वय समिति भी गठित करने का आदेश दिया गया है ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारू तरीके से किया जा सके। आदेश के अनुपालन में विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में "अन्तर–विभागीय समन्वय समिति" का गठन निम्नवत किया जाता है :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	**विकास आयुक्त, बिहार**	**अध्यक्ष**
2	अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	**सदस्य सचिव**
6	सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
7	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
8	सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
9	प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना	सदस्य
10	अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना	सदस्य
11	पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना	सदस्य
12	जिला पदाधिकारी, पटना	सदस्य
13	वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	सदस्य
14	पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना	सदस्य
15	प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना	सदस्य
16	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना	सदस्य
17	पथ निर्माण विभाग द्वारा नामित वरीय तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य
18	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नामित वरीय तकनीकी	सदस्य
19	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा नामित वरीय तकनीकी	सदस्य
20	पटना नगर निगम द्वारा नामित वरीय तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य
21	मुख्य अभियंता, बुडको, पटना	सदस्य

2. गठित समन्वय समिति द्वारा पटना में विभिन्न नागरिक सुविधाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा समय–समय पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में सभी विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बंधित मामलों के अद्यतन प्रगति से अवगत कराया जाएगा।

3. अन्तर विभागीय समन्वय समिति के गठन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/NULM–02/2019 8185 /पटना, दिनांक–07.8.19
प्रतिलिपि–सभी संबंधित पदाधिकारी/अपर सचिव–सह–उप निदेशक/विशेष सचिव–सह–निदेशक के आप्त सचिव/आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/टीम लीडर, PMC-NULM, SPMG को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/2019
प्रधान सचिव।